भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2644
04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंभीर बीमारियों से पीड़ित

2644. श्री छेदी पासवान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उन सरकारी निधियों का ब्यौरा क्या है जिनसे यह अनुदान प्रदान किया जाता है;
(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हृदय, किडनी, यकृत, कैंसर आदि से संबंधित जानलेवा रोगों से पीड़ित गरीब रोगियों को किसी भी सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आरएएन की अम्ब्रेला स्कीम के तीन घटक निम्नानुसार हैं -

i. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) - सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों / संस्थानों में हृदय, गुर्दे, यकृत आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता; (*अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)*

ii. स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) - क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी)/विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) और राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) में कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता; (*अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)*

iii. दुर्लभ रोगों से पीड़ित गरीब रोगियों के लिए वित्तीय सहायता - सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों / संस्थानों में इलाज के लिए निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों के लिए; (*अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रुपये है*)

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना के बारे में अधिक जानकारी https://main.mohfw.gov.in/Major-Programmes/poor-patients-financial-support. पर प्राप्त की जा सकती है। _

इसके अलावा, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एनआरपीडी), 2021 भी है, जिसके तहत सरकार राष्ट्रीय नीति में सूचीबद्ध किसी भी दुर्लभ रोग से ग्रस्त रोगियों को एनआरपीडी -2021 में उल्लिखित किसी भी उत्कृष्टता केंद्र में उपचार के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत में पैनलबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में गरीब और कमजोर पात्र परिवारों को प्राथमिक और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पतालीकरण के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी-पीएमजेएवाई पर अधिक जानकारी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:https://pmjay.gov.in

30 जुलाई, 2023 को, योजना के कार्यान्वन के बाद से कुल 24.30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।
योजना के तहत उपचार प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

• रोगी पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में निर्दिष्ट एबी-पीएमजेई कियोस्क पर जाता है और अपना आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत करता है। यदि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) रोगी की पहचान और पात्रता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) का उपयोग करके सत्यापित करेगा और रोगी के लिए एक आयुष्मान कार्ड जारी करेगा।
• लाभार्थी की चिकित्सा स्थिति के आधार पर, पैनलबद्ध अस्पताल पूर्व-अनुमोदन के लिए अनुरोध करता है।
• पूर्व-अनुमोदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी स्वीकृत पैकेज के अनुसार उपचार करवाता है।
• उपचार पूरा होने पर, लाभार्थी को डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज के समय, लाभार्थी को 15 दिन के लिए दवाएं प्रदान की जाती हैं।
• पूरी प्रक्रिया कैशलेस और पेपरलेस होती है।
• विस्तृत प्रक्रिया विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.pmjay.gov.in/sites/default/files/2018-09/PM-JAY%20Process%20Flow%20at%20Empanelled%20Hospitals.pdf

*****